FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **जगतसिंह पुत्र हरबीर सिंह** बनाम **श्रीराम हाउसिंग फाईनेन्स**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र रिव्यू** **नम्बर 15/62/2020**

9/9/2020

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/12/20	आज यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील को बार–बार आवाज दिलाई गई उपस्थित नहीं आऐं। हमनें प्रार्थी (जगतसिंह) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2020 का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 14 सिक्योरटाईजेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 15/78/18 उनवान श्रीराम हाउसिंग फाईनेन्स लि0 बनाम श्रीमती प्रेमवती वगैरा निर्णय दिनांक 17.7.2018 की कार्यवाही को रूकवाने बाबत पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के संबंध में पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2018 को आदेश दिये जा चुके है। धारा 14 सिक्योरटाईजेशन एक्ट का स्त्रोत सीमित है। इस में secured creditor को रहन सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु वांछित सहायता उपलब्ध करवाना होता है। ऋण देने ओर लेने वाले के बीच में रहन रखी सम्पत्ति बाबत निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। यदि आवेदक इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.07.2018 से आहत है तो धारा 17 में डी0आर0टी0 जयपुर में अपील करने के लिए स्वतंत्र है। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.07.2018 में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी जगतसिंह पुत्र हरबीर सिंह चौधरी जाति जाट निवासी 41 आजाद नगर 60 फुट रोड वार्ड नम्बर 43 अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र रिव्यू खारिज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–12–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर,अलवर।	